

प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प राशमी

आदेश :-

प्राथी के "खाता दुर्लसी" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी श्री
व भूअ.नि. राशमी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राशमी /नायब
तहसीलदार राशमी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 133 के अनुसरण में ग्राम शीगापुर तहसील राशमी व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2020 में खाता संख्या 72 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	ता या	वर्तमान प्रविष्टि (शुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	शीगापुर	72	जाना पुन वीणा	जाना पुन वीणा

श्री
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राशमी

क्रमांक- 233
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 35/10/2021

1. तहसीलदार राशमी का संज्ञक लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शोध किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्राथी की राशमी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रवली।

श्री
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
राशमी

